

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY



सं. 42] दिल्ली, अक्टूबर 22—अक्टूबर 28, 2010, बुधस्पतिवार/आश्विन 30—कार्तिक 6, 1932 [ग.रा.रा.क्षे.दि. सं. 183]
No. 42] DELHI, OCTOBER 22—OCTOBER 28, 2010, THURSDAY/ASVINA 30—KARTIKA 6, 1932 [N.C.T.D. No. 183]

Samhar

भाग—IV
PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएँ
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE
AUTHORITY

आदेश

ORDERS

दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2010

Delhi, the 20th October, 2010

सं. फा.10 (1447)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./5488.—

F.No.10(1447)/COS(HQ)/Cons. Duty/5488.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sharp Capital Services Ltd., Plot No. 9, L.S.C., Gujranwala Town, Delhi-9 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 12,200 (Rs. Twelve Thousand Two Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 12,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 50,001 to 12,70,000 to be issued by the said company.

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधि नियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री शार्प कैपिटल सर्विसिज लि., एलएससी, गुजरावाला टाऊन, दिल्ली-110009 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 12,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 50,001 से 12,70,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 12,200 (रुपये बारह हजार दो सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2010

सं. फा.10 (1454)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./5574.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पैरामाउण्ट सरजिम्ड लि., प्लॉट नं. 1, एल.एस.सी., ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 91,00,001 से 96,00,000 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 5,000 (रुपये पाँच हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 26th October, 2010

F. No. 10(1454)/COS(HQ)/Cons. Duty/5574.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Paramount Surgimed Limited, Plot No. 1, L.S.C., Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 5000 (Rs. Five thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 50,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 91,00,001 to 96,00,000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2010

सं. फा.10 (1457)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./5582.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आईएफसीआई लि., आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 70,76,95,000 (रुपये 70,21,95,000 नन-बैंकिंग कम्पनीज के लिए एवम् रुपये 55,00,000 बैंकिंग कम्पनीज के लिए) मूल्य बॉण्ड्स जो कि प्रोमिशरी नोट के रूप में हैं जिनकी पृथक संख्या 2,01,10,03,489 से 2,01,10,04,869 एवम् 1,00,001 से 1,45,396, 2,00,001 से 2,59,520, 3,00,001-3,02,790 एवम् 4,00,001 से 4,06,213 है; पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 7,03,295 (रुपये सात लाख तीन हजार दो सौ पच्चीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 27th October, 2010

F.No.10(1457)/COS(HQ)/Cons. Duty/5582.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-

section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IFCI Limited, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi-110019, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 7,03,295 (Rs. Seven Lac Three Thousand Two Hundred Ninety Five) only on the aggregate value of bonds in the nature of promissory note of Rs. 70,76,95,000 (Rs. 70,21,95,000 to Non-Banking companies and Rs. 55,00,000 to banking companies) bearing distinctive Nos. 2,01,10,03,489 to 2,01,10,04,869 and 1,00,001 to 1,45,396, 2,00,001 to 2,59,520, 3,00,001-3,02,790 and 4,00,001 to 4,06,213 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1455)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./5584.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री परपल यूएमटीसी ट्रांजिट प्रा. लि., 405, चौथी मंजिल, रोहित हाउस, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 25,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 001 से 2,50,000 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2500 (रुपये दो हजार पाँच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F.No.10(1455)/COS(HQ)/Cons. Duty/5584.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Purple UMTC Transit Private Limited, 405, 4th Floor, Rohit House, Tolstoy Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2500 (Rs. Two Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 25,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 001 to 2,50,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1456)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./5585.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, एनडीडीबी हाउस, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 99,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,00,001 से

10,00,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 9,90,000 (रुपये नौ लाख नब्बे हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
आर. के. मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

F.No.10(1456)/COS(HQ)/Cons. Duty/5585.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of

Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. NDDB Dairy Services, NDDB House, Safdarjang Enclave, New Delhi-110029 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 9,90,000 (Rs. Nine Lac Ninety Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 99,00,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 10,00,001 to 10,00,00,000 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority
Govt. of National Capital Territory of Delhi,

R. K. MISHRA, Spl. Inspector General (Regn.)

PUBLISHED BY AUTHORITY
WEEKLY

Handwritten notes and signatures:
S.M.H.
Jan 2012
[Signature]
[Signature]

दिल्ली गजट 28-अक्टूबर 2010, बुधवार, अंक 30-कृत्तिका 6, 1932

Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi and other States
Notifications included in Part-4

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY

F.No.10(1456)/COS(HQ)/Cons. Duty/5585.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. NDDB Dairy Services, NDDB House, Safdarjang Enclave, New Delhi-110029 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 9,90,000 (Rs. Nine Lac Ninety Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 99,00,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 10,00,001 to 10,00,00,000 to be issued by the said company.